2018/ 50261

46/2018

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक / राजस्व / 2018 / 6272

दिनांक 21.08.2018

तहसीलदार
श्रीमाधोपुर।

आदेश

माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिप्रेक्ष्य राजस्व (ग्रुप 6) विभाग राज0 जयपुर के परिपत्र प.3 (2) राज–6 / पार्ट / जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं श्रीमान जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक राजस्व / 16 / 2619–44 दिनांक 16.8.2016 एवं पत्रांक 4328–53 / राजस्व / 2016 दिनांक 02.11.2016 की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक ...... दिनांक .... के द्वारा भिजवाई गई रिपोर्ट के अनुसार रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस भिजवाया गया है। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट प्रस्तावित रास्ता प्रचलित है तथा मौके पर चालू है। प्रस्तावित रास्ता सार्वजनिक उपयोग में आता है जिसके लिए खातेदारान् में से खातेदार काना, नेकीराम, नाश्मी देवी, बनवारी, भैरूराम, मदनलाल मंगावा, मनसाराम, रामावतार, लक्ष्मणसिंह, विक्रम, संदीप, माला, सुनील, सीताराम, सुरेश इत्यादि ने 50/- रूपये के शपथ पत्र पर समर्पण पत्र लिखकर रास्ता कटाने हेतु बतौर सहमति अपने अपने हस्ताक्षर अंकित किये है। रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आने से तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत अभिशषा की है।

अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार उप तहसीलदार अजीतगढ़ से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार संलग्न सूचि व नक्शा ट्रेस में अंकित / दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को संलग्न प्रस्ताव एंव नक्शा ट्रेस की प्रति भेजकर आदेश दिये जाते है कि निम्न खसरा नम्बरान् की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। गै0मु0 रास्ते में आने वाली भूमि का लगान कम किया जावें एंव नक्शें में उक्तानुसार तरमीम की जावें। गै.मु रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदार के खाते में ही रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भेजा गया प्रस्ताव एंव नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगें। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश आदि हो तो स्थगन आदेश समाप्ति उपरान्त अमल दरामद किया जावे।

क्र.स.	नाम पटवार मण्डल	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	रकबा जो रास्ते में काम आ रहा है।
1.	बागरियावास	नावलाई	461	0.25 हैक्टर बारानी 1	0.0326 हैक्टर
2.	बागरियावास	नावलाई	482	0.05 हैक्टर बारानी 2	0.0500 हैक्टर

संलग्नः– प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस

(ब्रह्मलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner